

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक.-एफ 4(ई)(एस-398/90) अलेसे-III/503-511 दिनांक.- 26-4-12.

आदेश संख्या 23/2012-13

श्री सांवल राम मीणा, क0लेखाकार कार्यालय वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, बस्सी (जयपुर) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा अपराध सं. 61/2000 एवं 63/2000 पंजीबद्ध धारा 13(1)(सी)(डी) एवं 13(2) पीसीएक्ट 1988 व 409,120बी आईपीसी में दर्ज होने के कारण कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2/157/कार्मिक (क-3)/97 दिनांक 10.08.2001 के अनुसरण में विभागीय आदेश क्रमांक 1553-1560 दिनांक 12.07.2007 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था तथा निलम्बन काल में मुख्यालय कोषालय, (ग्रामीण) जयपुर में रखा गया था। निलम्बित कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 20.01.2012 को बैठक आयोजित की गई जिसमें समीक्षा की जाकर श्री सांवल राम मीणा, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 24.04.2012 के अनुसरण में श्री सांवल राम मीणा, कनिष्ठ लेखाकार जो दिनांक 12.07.2007 से निलम्बित चल रहे हैं, को पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से निलम्बन से बहाल किया जाता है तथा बहाली पर इनका पदस्थापन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त बहाली माननीय न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय जांच के निर्णय के अधीन रहेगी। निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय एवं विभागीय जांच के निर्णय के पश्चात् किया जावेगा।

उक्त आदेश राज्य सरकार, वित्त (राजस्व) विभाग का पत्र क्रमांक प-2(1) वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 24.04.2012 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में लोकहित में जारी किये जाते हैं।

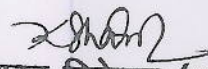

निदेशक 26/4/2012

क्रमांक.-एफ 4(ई)(एस-398/90) अलेसे-III/503-511

दिनांक.- 26-4-12.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़
2. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(1) वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 24.04.2012 के क्रम में।
3. महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (विधि एवं जांच) कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी, (ग्रामीण) जयपुर।
7. श्री सांवल राम मीणा, कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित), मुख्यालय कोषाधिकारी, (ग्रामीण) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण कर फैंक्स द्वारा इस विभाग को सूचित करें।
8. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।
9. निजी सहायक निदेशक।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/श्री महेन्द्र कुमार गोयल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)